प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0शासन ।

वित्त(सेवायें)अनुभाग-3

लखनऊः दिनांकः 16 जून, 2023

विषयः उत्तर प्रदेश राज्य के कोषागारों / उपकोषागारों में उपलब्ध बड़े मूल्यवर्ग के गैर-न्यायिक भौतिक स्टाम्पों के विक्रय एवं निस्तारण के संबंध में।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899, के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश के कोषागारों/उपकोषागारों के माध्यम से रू0 10 से लेकर रू0 25000 मूल्य वर्ग (value) के गैर-न्यायिक भौतिक स्टाम्पों का विक्रय किया जाता है । प्रदेश में वर्ष 2013 से ई-स्टाम्पिंग प्रणाली लागू किये जाने के उपरान्त गैर- न्यायिक भौतिक स्टाम्पों की बिक्री/खपत में उल्लेखनीय कमी हो गई है। इस कारण से स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अब रु0 5000 मूल्य वर्ग से अधिक के गैर-न्यायिक भौतिक स्टाम्प का क्रय, मुद्रण एवं परिवहन नहीं किया जा रहा है। कोषागारों/उपकोषागारों में इन भौतिक स्टाम्पों के लम्बी अवधि तक रखने में कई कारणों से भौतिक स्टाम्प पेपर के डैमेज (Damage) होने की संभावना बनी रहती है और इनके रख-रखाव, सुरक्षा में अनावश्यक संसाधन की खपत होती है । अतः कोषागारों/उपकोषागारों में उपलब्ध अविक्रीत भौतिक स्टाम्पों का सुनियोजित एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल द्वारा प्रदेश के कोषागारों/उपकोषागारों में उपलब्ध गैर-न्यायिक भौतिक स्टाम्पों का त्वरित विक्रय/निस्तारण हेतु कार्ययोजना को निम्नवत लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(क) जिन जनपदों में विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद तथा इस प्रकार के अन्य सरकारी विभागों/संस्थाओं के कार्यालय स्थित हैं तथा जिन जनपदों में स्टाम्पों की खपत अधिक है वहाँ पर रु0 5000 एवं उससे अधिक मूल्य वर्ग के गैर-न्यायिक भौतिक स्टाम्पों की खपत का आकलन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा करते हुए वित्त विभाग एवं निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 को सूचित किया जायेगा । तत्पश्चात वित्त विभाग के निर्देशानुसार निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 द्वारा उन जनपदों के कोषागारों में अन्य जिलों के कोषागारों से भौतिक स्टाम्प यथाआवश्यकता स्थानान्तरित किये जाने हेतु कोषागारों को आदेश दिये जायेंगे।

(ख) प्रदेश के निम्नलिखित कार्यालयों में स्टाम्प संबंधी कार्यों के लिए भौतिक स्टाम्पों का प्रयोग उस अवधि तक अनिवार्य कर दिया जाय जब तक कि कोषागारों/उपकोषागारों में उपलब्ध रू0

5000 एवं उससे अधिक मूल्य वर्ग के गैर-न्यायिक भौतिक स्टाम्पों का स्टाक समाप्त न हो जाये। इसके उपरांत ही इन कार्यालयों में ई-स्टापिंग प्रणाली से स्टाम्प संबंधी कार्य किए जा सकेंगे। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा इन जनपदों के सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराई जायेगी:-

1. औद्योगिक विकास प्राधिकरण :- नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे,औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा). गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) एवं भदोही ओद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा)।

2. विकास प्राधिकरण :- गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, हापुड़ - पिलखुआ, बरेली, मेरठ, वाराणसी, मुरादाबाद, मथुरा, सहारनपुर, आगरा, प्रयागराज, अयोध्या, उन्नाव, गोरखपुर, अलीगढ़, रायबरेली, रामपुर, बस्ती, आजमगढ, मथुरा-वृन्दावन, खुर्जा, झाँसी एवं मीरजापुर- विन्ध्याचल ।

3. आवास विकास परिषद :- जनपद लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर, वाराणसी, बरेली एवं गोरखपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय एवं ई०एम०ओ० कार्यालय ।

4. इस प्रकार के अन्य सरकारी विभाग एवं संस्थाओं के कार्यालय ।

(ग) सामान्य जन भारतीय स्टेट बैंक की सरकारी व्यवसाय शाखा में भौतिक स्टाम्प क्रय हेतु चालान के माध्यम से धनराशि जमाकर बैंक से सत्यापित चालान प्राप्त कर कोषागार से भौतिक स्टाम्प क्रय कर सकते हैं । उक्त सुविधा के अतिरिक्त राजकोष पोर्टल के माध्यम से जन सामान्य ऑन लाइन (डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / नेट बैंकिंग / यू0पी0आई0) भुगतान कर T+1(धनराशि जमा करने के एक दिन उपरांत) पर राजकोष पोर्टल से चालान का प्रिंट आउट लेकर कोषागार से भौतिक स्टाम्प प्राप्त कर सकेंगे।

कृपया इस संबंध में समुचित निर्देश अपने अधीनस्थ संबंधित अधिकारियों को अविलम्ब प्रसारित करने का कष्ट करें।

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

Signed by दीपक कुमार
Date: 16-06-2023 16:46:36
Reason: Approved

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

3- आयुक्त औद्योगिक विकास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
4- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- अपर मुख्य सचिव, आवास, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश ।
7- प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं कर निबन्धन।
8- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
9- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
10- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।
11- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0।
12- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
13- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
14- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(पूर्ण देव उपाध्याय)
विशेष सचिव।